



S.K.N. COLLEGE OF AGRICULTURE
(Sri Karan Narendra Agriculture University)
Jobner Distt. Jaipur (Raj.) - 303 329

Phone : 01425 254022 Email : dean.skncoa@sknau.ac.in

Dr. M.R. Choudhary
DEAN

No. F. SKNCOA/Acctt/Tender/2025/461

Date 17.06.2025

हिस्सा आधारित खेती हेतु पुनःनिविदा

इन्सट्रक्शनल फार्म, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के महाविद्यालय परिसर एवं केरिया फार्म हेतु मूंगफली की हिस्सा आधारित खेती के लिए निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति या फर्म निर्धारित प्रपत्र में अपना व महाविद्यालय का हिस्सा भरकर सीलबन्ध लिफाफे में जमा करवा सकता है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

1.	कार्य का विवरण	मूंगफली की हिस्सा आधारित खेती
2.	बजट हेड	रिवोल्विंग फण्ड
3.	कार्य की अनुमानित लागत	1.99 लाख रुपये
4.	कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ - 2025
5.	फसलों का अनुमानित क्षेत्रफल	अ. महाविद्यालय परिसर - 3.5 हैक्टर ब. केरिया फार्म - 5.0 हैक्टर
6.	निविदा फार्म का शुल्क	500.00 रुपये
7.	अमानत राशि	500.00 रुपये प्रति हैक्टर (सफल हिस्सेदार से)
8.	धरोवर राशि	5000.00 रुपये
9.	फार्म प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	24.06.2025 सांय 05.00 बजे तक
10.	फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि	25.06.2025 सुबह 11.00 बजे तक
11.	निविदा खोलने का समय	25.06.2025 दोपहर 01.00 बजे

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर
2. प्रभारी अधिकारी, इन्सट्रक्शनल फार्म, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर।
3. श्रीमान् संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर।
4. श्रीमान् प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर को प्रस्तुत कर अनुरोध है कि उपरोक्त नीलामी सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईड www.sk-nau.ac.in एवं SPPP पोर्टल पर अपलोड करवायें।
5. रक्षित पत्रावली।

अधिष्ठाता

हिससा आधारित खेती हेतु प्रपत्र

अ. महाविद्यालय परिसर

क्र. सं.	ब्लोक	फिल्ड नम्बर	अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर)	फसल	महाविद्यालय का हिस्सा (%)	हिस्सेदार का हिस्सा (%)
1.	--	10 B	3.5	मूंगफली RG 578		

ब. केरिया फार्म -

क्र. सं.	ब्लोक	फिल्ड नम्बर	अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर)	फसल	महाविद्यालय का हिस्सा (%)	हिस्सेदार का हिस्सा (%)
1.	--	2 B	2.0	मूंगफली RG 578		
		3 C	2.5	मूंगफली RG 510		

नोट :

1. उपरोक्त सभी फसलों की बुआई की जा चुकी है।

मैने हिस्सा आधारित खेती हेतु निविदा की सभी शर्तें व नियम पढ़ लिये हैं तथा मैं इनसे सहमत हूँ।

हिस्सेदार के हस्ताक्षर :

नाम :

पूर्ण पता :

मोबाइल नम्बर :

हिस्सा आधारित खेती हेतु निविदा नियम व शर्तें

1. इच्छुक व्यक्ति या फर्म 500.00 रुपये नकद जमा करवाकर फार्म खरीद सकता है या विश्वविद्यालय की वेबसाईड www.sknaui.ac.in से फार्म डाउनलोड करने पर 500.00 रुपये फार्म के साथ नकद जमा करवाने होंगे।
2. इच्छुक व्यक्ति या फर्म महाविद्यालय परिसर या केरिया फार्म या दोनों फार्मों के एक ब्लॉक या एक से अधिक ब्लॉकों के लिये निर्धारित प्रपत्र में अपना व महाविद्यालय का हिस्सा भरकर सीलबन्द लिफाफे में निविदा जमा करवा सकता है।
3. हिस्सा का प्रतिशत अंको व शब्दों में लिखना होगा। किसी भी प्रकार की कांट छंट किया हुआ निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा।
4. सफल हिस्सेदार को 500 रुपये प्रति हैक्टर के हिसाब से अमानत राशि जमा करवानी होगी।
5. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ धरोवर राशि रुपये 5000.00 नगद या डिमांड ड्राफ्ट जो की अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के नाम से हो, को संलग्न करना होगा।
6. निविदा सफलता पूर्वक पूर्ण होने पर अमानत व धरोवर राशि निविदादाता को लौटा दी जायेगी।
7. कार्य सन्तोष जनक रूप से पूर्ण न होने या अधुरा छोड़ने की अवस्था में निविदादाता की अमानत व धरोवर राशि जप्त कर ली जायेगी।
8. फसल की निराई गुड़ाई से लेकर फसल थ्रेसिंग एवं गोदाम तक तोलकर रखवाने तक की सभी प्रक्रियों में लगने वाले श्रमिक व्यय हिस्सेदार को ही वहन करने होंगे।
9. विभिन्न प्रकार की सरय क्रियारें फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करनी होंगी तथा सारा श्रमिक व्यय एवं लगने वाले औजारों की व्यवस्था स्वयं हिस्सेदार को ही वहन करनी होगी।
10. ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य तथा डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाईजर ड्रिलिंग कार्य आदि की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा कर दी गई है।
11. बुवाई के बाद एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले खाद एवं उर्वरक, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर इत्यादि की आपूर्ति आवश्यकतानुसार महाविद्यालय द्वारा ही की जायेगी।
12. हिस्सेदार को सिंचाई सम्बन्धी पाइप, फव्वारे, बेंड, टी, डाट आदि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा कार्य समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे। नहीं लौटाने पर इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
13. मृगफली में बीज उत्पादन में हिस्सेदार को बीज/दाना की ऐवज में बीज के मुल्य का भुगतान ऑन लाईन हिस्सेदार के खाते में किया जायेगा। हिस्सेदार के बीज/दाना के मुल्य का निर्धारण फसलों की थ्रेसिंग के समथ निकटतम कृषि उपज मंडी में एक सप्ताह पहले एवं एक सप्ताह बाद के औसत भाव के आधार पर किया जायेगा। जबकि हिस्सेदार को फसल का चारा उसके हिस्सा प्रतिशत के अनुसार थ्रेसिंग के तुरन्त बाद सुपूर्द कर दिया जायेगा।

14. व्यावसायिक फसलों (यदि कोई हो तो) में हिस्सेदार को बीज एवं चारा दोनों हिस्से के अनुक्रम धेरिंग के तुरन्त बाद दे दिया जायेगें।
15. फार्म पर धेरिंग कार्यों के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने, सांप काटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी हिस्सेदार की होगी।
16. फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इक्कठा करना है व कितने ढेर बनाने हैं, इसके लिए फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क करना होगा।
17. निराई गुड़ाई, कटाई, धेरिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुये हिस्सेदार को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार प्रभारी अधिकारी फार्म को होगा।
18. फसल की धेरिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म मैनेजर/फार्म इन्चार्ज द्वारा बताये अनुसार तोलकर गोदाम में बोरियों की धांग हिस्सेदार को लगानी होगी। वजन तोलते समय नमी एवं कचरा का वजन नियमानुसार काटा जावेगा।
19. धेरिंग हेतु धेरार हिस्सेदार द्वारा ही लाई जायेगी। धेरिंग कार्य हेतु ट्रैक्टर व श्रमिक हिस्सेदार को उपलब्ध करवाने होंगे। धेरिंग कार्य कार्यालय समय में ही करना होगा।
20. कटाई के बाद फसलों को इक्कठा करने एवं धेरिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए ट्रैक्टर व ट्रौली हिस्सेदार को ही लानी होगी।
21. पम्प व ट्यूब वेल मोटर ओपरेशन निविदादाता को ही करना होगा।
22. आवास की व्यवस्था हिस्सेदार को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
23. फार्म की फसलों की रखवाली दिन-रात की हिस्सेदार द्वारा की जावेगी। केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।
24. प्रथम वरीयता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेश प्रभारी अधिकारी दे सकेगें।
25. निविदा दाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा हिस्सेदार या उसके मजदूर फार्म पर मदिरा या अन्य नशा सामग्री का उपयोग नहीं करेंगें।
26. फार्म कार्य संतोषजनक नहीं होने पर प्रभारी अधिकारी फार्म को निविदा को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा तथा जमा अमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा। जो कि हिस्सेदार को मान्य होगा।

मैने हिस्सा आधारित खेती हेतु निविदा की सभी शर्तें व नियम पढ़ लिये हैं, तथा मैं इनसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ।

Handwritten signature

हिस्सेदार के हस्ताक्षर :

नाम :

पूर्ण पता :

मोबाइल नम्बर :

आधार नंबर :